# बिहार सरकार
## स्वास्थ्य विभाग
## आदेश

सं०सं०–15 / औ०–01–17 / 2025–...../ स्वा०,पटना,दिनांक –.....2026

श्री देवेन्द्र रजक, समाजसेवक, काँटी, मुजफ्फरपुर, श्री केदार सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना तथा श्री प्रभात कुमार, प्रभात इंटरप्राइजेज, महिमा प्लेस, जी0एम0 रोड पटना एवं 11 (ग्यारह) दवा दुकानदारों द्वारा श्री चुनेन्द्र महतो, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना एवं अभय कुमार सिंह, तत्कालीन लिपिक, सहायक औषधि नियंत्रक कार्यालय, पटना के विरूद्ध शपथ पत्र के साथ आरोप पत्र विभाग में समर्पित किया गया कि श्री महतो एवं श्री सिंह द्वारा ड्रग लाइसेंस एवं दवा दुकान संचालन के लिए अवैध रूप से लाखों रूपये की वसूली की जाती है।

2. उक्त आरोप पत्रों / परिवादों के आलोक में श्री अभय कुमार सिंह, तत्कालीन लिपिक एवं श्री चुनेन्द्र महतो, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री महतो द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा दवा व्यवसायियों के विरूद्ध अवैध व्यापार एवं नकली दवाओं के विक्रय / निर्माण पर रोक लगाये जाने हेतु उठाये गए कठोर कदम के कारण कुछ दवा व्यवसायियों द्वारा प्रतिशोध की भावना से उनके विरूद्ध आरोप पत्र / परिवाद विभाग में समर्पित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि केदार सिंह के औषधि निर्माण संस्थान में निर्मित Spurious औषधि पाये जाने के आलोक में अभियोजन दायर की जा चुकी है परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. श्री अभय कुमार सिंह, तत्कालीन लिपिक द्वारा स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि ड्रग लाइसेंस वर्त्तमान में ONDLSके माध्यम से निर्गत होता है। इसमें किसी लिपिक की कोई भुमिका नहीं होती है, लगाये गये आरोप बेबुनियाद है।

5. कालान्तर में परिवादकर्त्ता श्री प्रभात कुमार / प्रभात रंजन के द्वारा परिवाद वापस लेने संबंधी आवेदन विभाग में समर्पित किया गया है। श्री केदार सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय पटना द्वारा भी परिवाद वापस लेने संबंधी आवेदन विभाग में दिया गया है परन्तु श्री देवेन्द्र रजक द्वारा परिवाद वापस लेने संबंधी कोई आवेदन विभाग में समर्पित नहीं किया गया है।

6. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1167(15A), दिनांक–03.12.2025 द्वारा सहायक औषधि नियंत्रक, पटना से श्री केदार सिंह के औषधि निर्माण संस्थान द्वारा Spuriousऔषधि के निर्माण किये जाने के संबंध मे की जा रही कार्रवाई के संबंध में साक्ष्य सहित अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गयी।

7. तदालोक में सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना द्वारा पत्रांक–1272, दिनांक–18.12.2025 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि M/s Anshu Pharma, Babutola Lane, G.M. Road, Patna-04के अवैध गोदाम का जॉच कराया गया। जाँच के क्रम में परिवादी केदार सिंह के निर्माण संस्थानों से निर्मित 02 औषधि क्रमशः Gentamicin Inj. 30ml B.no-GM-19 Mfg Dt-04/24 Exp Dt-03/26 एवं Dexamethasone Sodium Phosphate Inj. 30ml B.no-DX-18 Mfg Dt-04/24 Exp Dt-03/26 का नमूना संग्रह किया गया। CDL Kolkata के Govt. Analyst

के जाँच प्रतिवेदन मेमो सं0–2444, दिनांक–13.01.2025 तथा पत्रांक–2479, दिनांक– 16.01.2025 के द्वारा दोनों औषधियों को Spurious घोषित किया गया, जिस पर जाँचोपरान्त परिवादी एवं उनके निर्माण संस्थान दोषी पाये गये एवं उन पर अभियोजन संख्या–113(O)/2025 दर्ज कराया गया है।

8. CDL Kolkata के Spurious प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि इस कार्यालय के पत्रांक–236, दिनांक–08.03.2025 के द्वारा परिवादी के औषधि विक्रय संस्थान M/s New Lab industries H/o Niru Devi, Babutola Road Patna का जाँच दल गठित करते हुए उक्त संस्थान द्वारा स्वनिर्मित 03 दवाओं के नमूना का जाँच किया गया, जिसमें 02 दवाओं Marbromine Solution I.P.B.no-GM-10 Mfg Dt-08/23 Exp Dt-07/25 एवं Electrolytic Chlorine E.C B.no-20 Mfg Dt-02/24 Exp Dt-01/26 को CDL Kolkata के Govt. Analyst के जाँच प्रतिवेदन मेमो सं0–792, दिनांक–07.07.2025 तथा पत्रांक–1114, दिनांक–20.08.2025 के द्वारा दोनों औषधियों को Spurious एवं Not of Standard Qualityघोषित किया गया, जिस पर जाँचोपरान्त परिवादी एवं उनके निर्माण संस्थान दोषी पाये गये एवं उन पर अभियोजन संख्या–259(O)/2025 दर्ज कराया गया है।

9. औषधि निरीक्षकों के दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में केदार सिंह के औषधि विक्रय संस्थान न्यू लैब इन्डस्ट्रीज, बाबु टोला लेन, जी एम रोड, पटना के विरूद्ध पायी गयी अनियमितताओं एवं CDL Kolkata से प्राप्त Spurious एवं Not of Standard Qualityजाँच प्रतिवेदन के आलोक में कारण पृच्छा करते हुए उनके कार्यालय पत्रांक–983, दिनांक– 18.09.2025 के द्वारा परिवादी केदार सिंह के इस विक्रय अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है।

10. उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री केदार सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय पटना के औषधि निर्माण संस्थान में पायी गयी दवाइयाँ Spurious एवं Not of Standard Qualityका पाया गया है, जिसके विरूद्ध सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा उन पर Drugs and Cosmetics Act के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की गयी है।

11. इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवादी श्री केदार सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा श्री चुनेन्द्र महतो, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम, पटना के विरूद्ध लगाये गये आरोप निराधार है।

12. अतएव उक्त के आलोक में श्री चुनेन्द्र महतो, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकृत करते हुए श्री केदार सिंह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना एवं अन्य के द्वारा समर्पित परिवाद को संचिकास्त किया जाता है।

13. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सुरेन्द्र राय)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :15/औ०–01–17/2025–...203(19)/स्वा०,पटना,दिनांक–...18/03/2026

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : श्री चुनेन्द्र महतो, सहायक औषधि नियंत्रक, पटना नगर निगम, पटनासूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अभय कुमार सिंह, लिपिक, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, पटना कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

प्रतिलिपि : श्री केदार सिंह, अधिवक्ता, जनता पैलेस बाबू टोला लेन, जी० एम० रोड, पटना–800004, मो०–92794115801 कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

प्रतिलिपि : श्री प्रभात रंजन, स्वत्वाधिकारी–प्रभात इंटरप्राईजेज, जी०एम० रोड, पटना–800004, मो०–9334574185 कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

प्रतिलिपि : श्री देवेन्द्र रजक, समाजसेवक, मजार के नजदिक, जिला–मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।